भारत सरकार
संचार मंत्रालय
दूरसंचार विभाग
20, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001
अभिगम सेवा स्कंध

सं.16-01/2017-एएस-III/लघु कोड/563/१०

दिनांक: 25/05/2023

सेवा में,

सभी अभिगम सेवा प्रदाता।

विषय:- खाद्य सुरक्षा और औषधि प्रशासन, उत्तराखंड सरकार को लघु कोड '14435' का अवंटन करने के संबंध में।

उत्तराखंड सरकार के खाद्य सुरक्षा और औषधि प्रशासन की हेल्पलाइन के रूप में लघु कोड '14435' का आवंटन किया जाता है। इस लघु कोड में निम्नलिखित विशेषताएँ होंगी:

(iv) श्रेणी-I: सेवा (अर्थात सभी अभिगम सेवा प्रदाताओं द्वारा अनिवार्य रूप से प्रदान की जाने वाली सेवा)

(v) अभिगम्यता: सीमित अर्थात राज्य के अंतर्गत।

(iii) मीटर की जाने वाली सेवा: (दूरसंचार विभाग के इस अनुदेश के क्रम में जिस अभिकरण को लघु कोड आवंटित किया गया है के द्वारा जारी पृथक सूचना के आधार पर कॉल्ड पार्टी भुगतान अथवा कॉलिंग पार्टी भुगतान के रूप में वसूला जाए)।

2. सभी से आवश्यक कार्रवाई करने का अनुरोध किया जाता है।

3. इसे सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया गया है।

संचित कुमार गर्ग

(संचित कुमार गर्ग)
सहायक महानिदेशक (एएस-III)

सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई करने हेतु, यदि कोई हो तो, प्रतिलिपि अग्रेषित:

1. सचिव, ट्राई।
2. सीएमडी एमटीएनएल/सीएमडी बीएसएनएल।
3. श्री आर. राजेश कुमार, सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा विभाग, खंड-2, उत्तराखंड सरकार, देहरादून को उनके दिनांक 04.05.2023 के अर्ध शा. पत्र सं 11/XXVIII-2-2023 के संदर्भ में इस अनुरोध के साथ कि हेल्पलाइन के कार्यान्वयन के लिए एक नोडल अधिकारी की नियुक्ति की जाए। नोडल अधिकारी वरिष्ठ उप महानिदेशक (एलएसए), एलएसए इकाई, संबन्धित राज्य/संघ राज्य प्रदेश से संपर्क करें।
4. निदेशक (ईएनटी), डीजीटी (मुख्यालय), (जब कभी आवश्यक होगा संबंधित एलएसए फील्ड इकाई को संबंधित नोडल अधिकारी से और हेल्पलाइन के कार्यान्वयन के लिए टीएसपी से समन्वय करने को कहा जाए)
5. दूरसंचार विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु एक प्रति।